न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 26/16 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00149

उनवान

1. रामजीलाल } पुत्रगण रामचरन सिंह
2. रामलाल
3. शैतान सिंह
4. नन्ने सिंह
5. श्रृंगार सिंह पुत्र पंचम सिंह

} जाति ठाकुर निवासीगण इन्दे का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अजमेर सिंह } पुत्र स्व0 बाबू सिंह
2. लाखन सिंह
3. श्रीभान सिंह (फौत)
   - 3/1. रविन्द्र पुत्र श्रीभान सिंह
   - 3/2. नरेन्द्र पुत्र श्रीभान सिंह
   - 3/3. मीरा पत्नी श्रीभान सिंह
4. सोवरन सिंह पुत्र स्व0 बाबू सिंह

} जाति गुर्जर निवासीगण खिडोरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

5. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसेडी।
6. प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नादनपुर तहसील बसेडी।
7. प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बौरेली तहसील बसेडी।
8. प्रबन्धक महोदय, धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बसेडी।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 13.04.2012 उनवानी रामजीलाल बनाम अजमेर सिंह मु0न0 45/10

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री रविन्द्र प्रसाद मोदी अनुपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

निर्णय दिनांक :– 18.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 13.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/ रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 02 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम खिडौरा तहसील बसेडी को वादी/अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 28.05.1970 को प्रतिवादी/रैस्पो0 के पिता बाबू सिंह से खरीदा था एवं तभी से वादी/अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी/अपीलाण्ट का नाम दाखिला खारिज नहीं खुल सका। वादी/अपीलाण्ट को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात् बाबू सिंह के मरने के पश्चात् विवादित आराजी का विरासतन दाखिला खारिज प्रतिवादी रैस्पो0 के नाम आ गया, जो खिलाफ कानून है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यहॉ तक तो सही है कि विवादित आराजी के अपीलाण्ट सदभावी क्रेतागण हैं एवं रैस्पो0 द्वारा उनके वयनामा को ना तो सक्षम न्यायालय में चुनौती दी है एवं ना ही वह बाबजूद सूचना उपस्थित आये हैं। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पर जो ऋण है वह अपीलाण्ट द्वारा नहीं लिया जाकर रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर दर्ज गलत इन्द्राजो का फायदा उठाते हुये लिया गया है। जिस समय ऋण लिया गया था उस समय अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं थे, तो फिर अपीलाण्ट ऋण को चुकाने के हकदार नहीं होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कि ऋण को वादी/प्रतिवादी दोंनों चुकता करेंगें पूरी तरह से अवैध है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर जिस समय ऋण लिया गया है, उस समय अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं थे। अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार अपीलाधीन आदेश से प्राप्त हुये हैं। लिहाजा स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर जो ऋण है वह रैस्पो0 द्वारा अपने गलत इन्द्राजो का फायदा उठाते हुये प्राप्त किया है। अतः उसके चुकता करने का दायित्व

भी रैस्पो0 पर ही रहता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को उक्त ऋण के चुकता करने के आदेश दिये हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 13.04.2012 केवल ऋण बाबत् अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में विवादित आराजी पर जिस भी बैंक का ऋण हो, उन बैंको के प्रतिनिधी को व्यक्तिगत रूप से तलव करते हुये एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में उन्हें सुनवाई का मौका देते हुये व रैस्पो0 की खातेदारी की अन्य आराजी से उक्त ऋण की भरपायी करने के बिन्दु पर विचार करते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर